न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी :— रामसिंह राजावत (R.A.S.)

प्रार्थना पत्र सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
63 / 2019	03.12.2019	02.02.2021

1. गजेन्द्र सिंह पुत्र श्री तुलसीराम उम्र करीब 38 साल जाति अहीर निवी दरबारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0

—: प्रार्थीगण

बनाम

1. रिशपालसिंह पुत्र श्री उजागरसिंह
2. शिम्भूसिंह पुत्र उजागरसिंह जातियान सिख निवासीयान अजरका तहसील मुण्डावर हाल निवासी एन ई बी हाउसिंग बोर्ड अलवर जिला अलवर राज0।

—: असल अप्रार्थीगण

3. औमप्रकश पुत्र हरिसिंह
4. शकुन्तला पुत्री श्री हरिसिंह जातियान अहीर निवासीयान दरबारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क्र) राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

—:<u>निर्णय</u>:—

दिनांक :— 02.02.2021

1. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रहा कि :—
   1. यह है कि आराजी खसरा नम्बर 551 रकबा 0.09 है0, ऐयर वाके ग्राम अजरका तहसील मुण्डावर में स्थित है, जो आराजी मिन प्रार्थी और तरतीबी अप्रार्थी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है, तथा बाहमी बंटवारा के आधार पर उक्त आराजी में मिन प्रार्थी ने मकान रिहायस कर रखी है, तथा उक्त आराजी का उपयोग और उपभोग कर रहा है, तथा पशुधन, टैक्टर बगैरा तथा मिन प्रार्थी का परिवार इसी आराजी में रिहायस करके रह रहा है।
   2. यह है कि आराजी खसरा नम्बर 524 रकबा 0.11 है0 वाके ग्राम अजरका तहसील मुण्डावर में स्थित है, जो सार्वजनिक सरकारी रास्ता है, मौके पर चालू है, जिस रास्ते से मिन प्रार्थी अपनी रिहायसी आराजी खसरा नम्बर 551 में आता जाता है, पशु वगैरा और टैक्टर वगैरा इसी रास्ते से खसरा नम्बर 549 रकबा 0.09 है0, वाके ग्राम अजरका तहसील मुण्डावर के तरफ पश्चिम के डोल के साथ साथ अपने खेत खसरा नम्बर 551 में आवागमन करता है, पशु, टैक्टर गाडी आदि इसी रास्ते से आना जाना रहा है।
   3. यह है कि आराजी खसरा नम्बर 549 रकबा 0.09 है0, वाके ग्राम अजरका तहसील मुण्डावर जो अप्रार्थीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है, जिस आराजी के तरफ पश्चिम के डोल के साथ आने जाने में अप्रार्थीगण मिन प्रार्थी को बाधा पहुंचाने [illegible] प्रार्थी के टैक्टर पशु वगैरा आने जाने से रूकावट की जा रही है, जिससे [illegible] प्रार्थी [illegible] भारी परेशानी का सामना करना पड रहा है, तथा मिन [illegible] मकान के उपयोग और उपभोग में बाधा आ रही है।
   4. यह है कि प्रार्थी के अधिकार कानून द्वारा सुरक्षित है और अपने अधिकार [illegible] रास्ता हेतु राजस्व रिकोर्ड में रास्ता कायम कराने का अधिकारी है।
   5. यह है कि मिन प्रार्थी दिनांक 03.11.2019 को अपने रिहायसी आराजी में [illegible] रहा था तो अप्रार्थीगण ने दीगर लोगो को साथ लेकर मिन प्रार्थी को आने जाने से रोका और आगे नही आने की धमकी दी है, जिस हेतु प्रार्थना पत्र धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश करना लाजिम आया है।
   6. यह है कि मिन प्रार्थी आराजी खसरा नम्बर 549 रकबा 0.09 है0 वाके ग्राम अजरका तहसील मुण्डावर में तरफ पश्चिम के डोल के साथ साथ 20 फुट चौडा और 130 फुट लम्बा उत्तर दक्षिण रास्ता कायम कराना चाहता है, जिसकी ऐवज में न्यायालय के आदेशानुसार या डी एल सी रेट के अनुसार उक्त रास्ता बाबत जो भूमि आयेगी उसकी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 11:17:52 IST
Reason: SelfAttested

९५६ उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

कीमत असल अप्रार्थीगण को देने को तैयार है, या सरकारी कोष में जमा कराने को तैयार है।

7. यह है कि मिन प्रार्थी के रिहायसी मकान और खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 551 रकबा 0.09 है0 वाके ग्राम अजरका तहसील मुण्डावर में और कोई रास्ता आने जाने का नही है, इसलिये खसरा नम्बर 549 रकबा 0.09 है0 में पश्चिम डौल के साथ 20 फुट चौडा और 130 फुट लम्बा रास्ता कायम किया जाना आवश्यक है।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर अनुतोष चाहा कि –

(क). यह है कि आराजी खसरा नम्बर 549 रकबा 0.09 है0 वाके ग्राम अजरका तहसील मुण्डावर में तरफ पश्चिम के डोल के साथ 20 फुट चौडा और 130 फुट लम्बा उत्तर से दक्षिण मिन प्रार्थी की आराजी तक रिकोर्ड में रास्ता दिलाया जावे मौके पर अलग से तितम्बा काटे जाने के आदेश फरमाये जावे, नक्शा ट्रेस से रास्ता दर्शाया जावे।

1. प्रार्थना पत्र दर्ज पंजिका कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। सभी अप्रार्थीगण की तामील सम्यक रूप से हुई। अप्रार्थी सं0 01, 02 की ओर से अधिवक्ता श्री रणवीर सिंह यादव उपस्थित हुए। शेष अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण की ओर से जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। तहसीलदार से रिपोर्ट ली जाकर प्रार्थना पत्र में सुनवाई हेतु रखा गया।
2. प्रार्थी की ओर से साक्ष्य में दस्तावेज नकल जमाबंदी सम्वत् 2070–73, नक्शा ट्रेस, गिरदावरी सम्वत 2073 पेश किये गये।
3. अप्रार्थीगण की ओर से कोई साक्ष्य, सबूत पेश नही किये गये।
4. तहसीलदार, मुण्डावर से मौका रिपोर्ट ली गई।
5. बहस वकूलाय सुनी गई।
6. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन व बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र पर न्यायालय का निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–

ग्राम अजरका का खसरा नम्बर 551 रकबा 0.09 है0 प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि है। प्रार्थी खसरा नम्बर 551 रकबा 0.09 है0 में आने–जाने के लिए ख0नं0 549 रबा 0.09 है0 में से 20 फुट चौड़ा और 130 फुट लम्बा का रास्ता चाह रहा है। खसरा नम्बर 549 रकबा 0.09 है0 में प्रार्थी स्वयं खातेदार नही है। ख0नं0 551 में पहुचने के लिए प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते के अलावा कोई विकल्प नहीं है। खसरा नम्बर 551 के चारो तरफ कोई कटानी सार्वजनिक रास्ता नहीं लगता है। ख0नं0 खसरा नम्बर 551 में आने–जाने के लिए एक मात्र रास्ता ख0नं0 549 में से ही उपलब्ध है।

समस्त तथ्यों के अवलोकन पर पाया गया कि प्रार्थी खसरा नम्बर 551 आवासिय रिहायसी मकान बनाकर रह रहा है। जहां से सम्पूर्ण मौका स्थिति को देखने से पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि, प्रार्थी के लिए इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से 549 की दक्षिण डोल से पश्चिम दिशा में लम्बाई 130 मीटर चौडाई 20 फीट का रास्ता ही एकमात्र न्यूनतम दूरी का, व्यवहारिक व सुविधाजनक रास्ता हो सकता है।

मौके पर प्रार्थी के खेत हेतु साधन आने–जाने का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। प्रार्थी को अपने खेत तक आने–जाने, फसल की जुताई–बुवाई–कटाई, उपज के विपणन हेतु चौपहया वाहन के आवागमन की आत्यान्तिक आवश्यकता रहती है। खसरा नम्बर 551 प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। जिसमें आने जाने के लिए खसरा नम्बर 549 की दक्षिण डोल से होकर कदीम से आता जाता है। रास्ता कटानी नहीं होने से प्रार्थी को नाजायज परेशान कर रहे है। प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी के आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक [illegible] खसरा नम्बर 551 की चाही 1 किस्म है।

न्यायालय का यह सम्यक समाधान है कि प्रार्थी द्वारा चाह[illegible] मात्र जोत [illegible]धापूर्ण उपयोग–उपभोग (Not mere convenient enjoyment of [illegible] की रास्ते की आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता (Absolu[illegible] यह भी कि आवेदक ने अपने खेत में आने जाने एवं फसल उपज को लाने ले जाने के [illegible] वैकल्पिक साधन/रास्ता की अनुपलब्धता (Absence of alternative means of access) को भी साबित किया है। न्यायालय आवेदक के प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 11:17:52 IST
Reason: SelfAttested

–:: आदेश ::–

न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता हैं। अतः वाके ग्राम अजरका, तहसील मुण्डावर स्थित भूमि खसरा नम्बर 549 मे से दक्षिण डोल के साथ साथ पूर्व – पश्चिम दिशा में 130 मीटर भूमि लम्बाई के समानुपाति चौड़ाई में 20 फीट

उपखण्ड़ाधिकारी
मण्डावर (अलवर) राज०

प्रार्थी को प्रचलित सार्वजनिक रास्ते से अपनी खातेदारी भूमि ख. नं. 551 के पश्चिमी कोने तक आने जाने के लिए रास्ते के रूप में दिए जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार मुण्डावर को आदेशित किया जाता है कि उक्त रास्ते में अप्रार्थीगण कि आयी भूमि की डी. एल.सी दर से दो गुणी राशि प्रार्थी से जमा करवाए जावे। जमा राशि को उक्त रास्ते में आई अप्रार्थी को आई भूमि के अनुपात के अनुसार वितरण कर रास्ते की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में "गैर मुमकिन रास्ता" के रूप मे दर्ज की जावे। रास्ते को नजरी नक्शा (परिशिष्ठ A) में ए से बी तक दिखाया गया है। परिशिष्ट–ए निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। अनावेदक को सदैव के लिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध किया जाता है कि प्रार्थी को उपलब्ध करवाए गए उक्त रास्ते के उपयोग, उपभोग मे किसी तरह की दखल मजाहमत, किसी भी रूप मे, किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से, न करे, न करावे। तहसीलदार मुण्डावर रिकॉर्ड में अमल व तरमीम करे। रास्ता के सीमा चिन्ह कायम कर कब्जा प्रार्थी को सुपुर्द किया जाकर रास्ता सुचारू रूप से चालू कराया जावे। यह रास्ता समस्त प्रकार के ऋण, भार, प्रभार से मुक्त होगा। पालना हेतु तहसीलदार मुण्डावर को लिखा जावे।

2/2/21

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

निर्णय आज दिनांक 02.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

2/2/21

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 11:17:52 IST
Reason: SelfAttested